न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 **– 991 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** अमन सिंह व 02 अन्य

मु0अ0सं0–**109** सन्–**2025**
धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–को0 शहर, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा–II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **अमन सिंह, अनिल कुमार** व **कादम्बिनी उर्फ किली** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि वादी मुकदमा सूरज कुमार वर्मा की पुत्री/मृतका वत्सला वर्मा का विवाह दिनांक 10.02.2025 को अभियुक्त अमन सिंह के साथ होने के पश्चात् से दिनांक 05.06.2025 के पूर्व तक बहदस्थान मोहल्ला गुदरी, क्षेत्रान्तर्गत थाना कोतवाली शहर, जिला–मीरजापुर में आप लोगों द्वारा मृतका के रिश्ते में क्रमशः पति, ससुर व सास होते हुए अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रूपये व बुलेट मोटरसाईकिल की माँग को लेकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–85 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि वादी मुकदमा सूरज कुमार वर्मा की पुत्री/मृतका वत्सला वर्मा की मृत्यु उसके विवाह दिनांक 10.02.2025 से सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक परिस्थितियों से अन्यथा कारित हुई है तथा मृत्यु से कुछ पूर्व दहेज में तीन लाख रूपये व बुलेट मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मृतका वत्सला वर्मा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का तथ्य आया है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु दहेज हत्या की कोटि में आती है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–80(2) के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

विकल्प में

यह कि दिनांक 05.06.2025 को समय दोपहर 01:45 बजे के पूर्व किसी समय, बहदस्थान मोहल्ला गुदरी, क्षेत्रान्तर्गत थाना–कोतवाली शहर, जिला मीरजापुर में आप लोगों ने साशय सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतका वत्सला वर्मा की फांसी लगाकर हत्या कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–103(1) सपठित धारा–3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि मृतका वत्सला वर्मा का विवाह अभियुक्त अमन सिंह के साथ होने के पश्चात आप लोगों ने मृतका से अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रूपये व बुलेट मोटरसाईकिल की माँग किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–**10.03.2026**

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक–**10.03.2026**

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण सं0 **— 991 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** अमन सिंह व 02 अन्य

मु0अ0सं0—**109** सन्—**2025**
धारा—85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व
धारा—3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना—को0 शहर, जिला—मीरजापुर।

10.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अमन सिंह जेरे हिरासत एवं अभियुक्तगण अनिल कुमार व कादम्बिनी उर्फ किली व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण अमन सिंह, अनिल कुमार व कादम्बिनी उर्फ किली के विरूद्ध धारा—85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा—4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप धारा—103(1) सपठित धारा—3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण अमन सिंह, अनिल कुमार व कादम्बिनी उर्फ किली के विरूद्ध धारा—85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा—4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप धारा—103(1) सपठित धारा—3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 24.03.2026 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।